

पत्रांक—श्रम क०स०—50/2024(अंश ख)—616
 बिहार सरकार
 श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग
 बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति
 आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा (संशोधन) योजना, 2024 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, मुजफ्फरपुर के ज्ञापांक (कॉलम 4 में वर्णित) से स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रित को रू० 50,000/- (पचास हजार रूपए) अर्थात् कुल राशि रू० 50,000/- (पचास हजार रूपए मात्र) अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। उक्त प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है।

01 मृतक/दावेदार कामगार/शिल्पकार का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम संबंध/दावेदार, आधार सं०,	श्रम अधीक्षक का पत्रांक / दिनांक	पता/ नोबाईल नं०	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस. सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्तता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० दिनेश महतो, 56, जुगुल महतो, अनु० जाति	राजकुमारी देवी (पत्नी)	591, 21, 02, 2025	ग्रा०-नया टोला बड़कागाँव, पो०-बड़कागाँव, धाना-करजा, प्र०-मडवन, जिला-मुजफ्फरपुर मो०-7257035344	100039 103005 2963	UBGB, PUNBO MBGB0 6	रू० 50,000/- (पचास हजार रूपए)	स्वामाविक मृत्यु मिट्टी काटने का कार्य

कुल रू० 50,000/-
 (पचास हजार रूपए मात्र)

- उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।
- उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RIGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

ह०/-
 (रोहित कुमार),
 मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-
 (राजेश भारती),
 कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-श्रम क०स०—50/2024(अंश ख)—616 पटना, दिनांक :-११/०५/२०२६

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RIGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि कुल:- राशि रू० 50,000/- (पचास हजार रूपए मात्र) बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे। उप श्रमायुक्त, मुजफ्फरपुर /श्रम अधीक्षक, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग

(विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री
आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग।

11/05/2026
Signed by Rohit Kumar
Date: 11-05-2026 11:01:20
(रोहित कुमार),
मुख्य वित्त पदाधिकारी

Rajesh Bhatti
(राजेश भारती),
कार्यकारी निदेशक